भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3188
दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंजाब के फरीदकोट में संदूषित जल

†3188. सरदार सरबजीत सिंह खालसाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पंजाब में विशेषकर फरीदकोट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण घरों की कुल संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने घरों में नल जल कनेक्शन/आपूर्ति है;
(ख) पंजाब में कुल कितनी बस्तियां हैं तथा इनमें से कितनी बस्तियां आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य संदूषण से प्रभावित हैं;
(ग) क्या पंजाब में जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और ज़हरीला भी होता जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए/लागू की जा रही परियोजनाएं कौन-सी हैं; और
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर कितना बजट आवंटित और खर्च किया गया?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): जल जीवन मिशन (जेजेएम) आईएमआईएस में पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी ग्रामीण परिवारों अर्थात 34.26 लाख (100%) ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य नल जल आपूर्ति से कवर किया गया है। फरीदकोट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी 2.23 लाख ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य नल जल आपूर्ति से कवर किया गया है।

(ख) से (घ): पंजाब में कुल 433 बसावटों में जल गुणवत्ता संदूषण की सूचना मिली है जिसमें 119 बसावटों में फ्लोराइड संदूषण की सूचना मिली है और 257 बसावटों में

आर्सेनिक संदूषण की सूचना मिली है। जल संदूषित बसावटों की संख्या 2022 में 875 बसावटों से घटकर वर्तमान में 433 बसावटों तक रह गई हैं।

केंद्र सरकार नागरिकों को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) को पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल उपलब्ध कराया जा सके। राज्य स्तर पर जल गुणवत्ता पहलुओं पर कार्रवाई की सुविधा के लिए जेजेएम के तहत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: -

i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आवंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है।
ii) जेजेएम योजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। इसके अलावा, फील्ड परीक्षण किट (एफटीके) के माध्यम से पानी के नमूनों की जांच करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।
iii) जेजेएम के तहत, नल जल कनेक्शन के माध्यम से परिवारों हेतु पीने योग्य जल आपूर्ति की योजना बनाते समय, गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, तत्काल समाधान प्रदान करने की दृष्टि से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतरिम उपाय के रूप में प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें।

जेजेएम के तहत आवंटित राशि में से, 2% तक का उपयोग राज्यों द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए किया जा सकता है। राज्य-वार और वर्ष-वार आवंटन का विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Financial/JJMRep_StatewiseAllocationReleaseExpenditure.aspx

*****